न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टी.ए./3692/2020/झालावाड़

इब्राहिम पुत्र नौन्दा निवासी घुरपुरा मौहल्ला झालावाड़

अपीलार्थी

बनाम

1– राणा इन्द्रजीत सिंह
2– महाराजा राणा अपराजीत सिंह
3– राजकुमारी सु0श्री संजीवनी
4– राजमाता स्वरूपा बेवा श्री इन्द्रजीत सिंह
5– ईलादेवी पत्नी हरीशचन्द्र सिंह मृतक अकवाम राजपूत सकनाय झालरापाटन जिला झालावाड़
जरिये मु0आम नरेन्द्र कुमार श्रृंगी पुत्र श्री पूरणमल श्रृंगी जाति ब्राहमण, उम्र 42 वर्ष, निवासी पृथ्वी विलास पैलेस, झालावाड़
6– अजगरी बेगम बेवा मोहम्मद खां निवासी घुरपुरा मौहल्ला, झालावाड़
7– एजाज अहमद
8– इरफान मोहम्मद
9– मोहम्मद फूरकान
10– मोहम्मद इमरान
11– मोहम्मद इकबाल
12– अरबाज खां
13– आबिद खां
14– आफताब खां
15– गुलनाज पुत्री मोहम्मद खां
समस्त जाति मुसलमान, निवासी ग्राम घुरपुरा मौहल्ला, झालावाड़
16– शहनाज पुत्री मोहम्मद खां पत्नी मोहम्मद शगीर, निवासी मस्जिद के पास, सुकेत तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा
17– मकबूल अहमद
18– मोहम्मद रफीक
19– हसमत
20– हुसैन
21– फारूख अहमद
समस्त जाति मुसलमान, निवासी घुरपुरा मौहल्ला झालावाड़, जिला झालावाड़
22– आशीष वर्मा पुत्र किशन वर्मा, निवासी बाके भवन के पास, बड़ा बाजार, झालावाड़
23– महमूद रियाज पुत्र मुश्ताक मोहम्मद निवासी सरोला रोड, खानपुर
24– राजेन्द्र सिंह पुत्र करण सिंह जाति राजपूत, निवासी जयराज पार्क के पास, झालावाड़
25– राजस्थान सरकार जरिये कलक्टर, झालावाड़

प्रत्यर्थी

खण्ड–पीठ
श्री सी. आर. मीना, सदस्य
श्री खजान सिंह, सदस्य

उपस्थितः
श्री विकास पाराशर अधिवक्ता अपीलार्थी
श्री के. के. पुरोहित एवं श्री एन. के. गोयल अधिवक्ता प्रत्यर्थी

———

निर्णय

दिनांकः 21–10–2022

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 225 के अन्तर्गत न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा द्वारा प्रकरण संख्या 123/2011 में पारित निर्णय दिनांक26–9–2011 के विरूद्ध पेश की गई है।

2– प्रकरण के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रत्यर्थी संख्या 1 से 5 द्वारा एक दावा अंतर्गत धारा 88, 91, 92–ए, 183 व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत न्यायालय उपखंड अधिकारी, झालावाड़ के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम गिंदोर तहसील झालरापाटन में स्थित खसरा नंबर 37, 37/1, 49, 50, 55 व 56 कुल किता 6 कुल रकबा 56 बीघा 4 बिस्वा की आराजी जमाबंदी संवत 2023 लगायत 2026 में होम डिपार्टमेंट एच.एस. झालावाड़ के खाते में दर्ज थी एवं उक्त आराजी प्रत्यर्थी संख्या 1 के पिता हरिशचन्द्र की खातेदारी व कब्जे में थी, जिनका निधन 1967 में हो गया। इस कारण प्रत्यर्थी संख्या 1 उनका उत्तराधिकारी है एवं उक्त भूमि का खातेदार कृषक है। प्रत्यर्थी संख्या 1 विवादित आराजी को अपने नौकरों से काश्त करवाता आ रहा है। सेटलमेंट विभाग द्वारा इस आराजी के हाल खसरा नंबर 63 रकबा 4 बीघा 8 बिस्वा, 70 रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा, 71 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 72 रकबा 13 बिस्वा, 73 रकबा 4 बीघा 11 बिस्वा, 82 रकबा 16 बिस्वा, 83 रकबा 15 बिस्वा, 84 रकबा 14 बीघा, 18 बिस्वा व 85 रकबा 3 बिस्वा कुल किता 9 रकबा 35 बीघा एवं 19 बिस्वा आराजी कायम की। प्रत्यर्थी संख्या 1 ने बिना सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना अपीलार्थी को नोटिस दिये गैरकानूनी रूप से धारा 19 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अंतर्गत खातेदारी अधिकार प्राप्त होना मानकर नामांतरकरण संख्या 8 दिनांक 30–4–1977 को खोलकर खसरा नंबर 82 रकबा 16 बिस्वा, 84 रकबा 14 बीघा 18 बिस्वा व 85 रकबा 3 बिस्वा 83 रकबा 15 बिस्वा अब्दुल मजीद पुत्र अब्दुल अब्बास के खाते में दर्ज कर दी। इसी दिनांक से नामांतकरण संख्या 9 के द्वारा ग्राम गिंदोर की खसरा नंबर 70 की 6 बीघा 6 बिस्वा, 71 रकबा 3 बीघा 9 बिस्वा, 72 की 73 बिस्वा व 73 की 4 बीघा 11 बिस्वा, 63 की 4 बीघा 8 बिस्वा कुल किता 54 कुल रकबा 19 बीघा 17 बिस्वा आराजी अपीलार्थी के खाते में दर्ज कर दी। अब्दुल मजीद के निधन के बाद खसरा नंबर 82, 83 व 84 की आराजी प्रतिवादी सं0 2, 3 व उसकी बहिन मेहमूदी के खाते में दर्ज हो गई और मेहमूदी के निधन के बाद उसके स्थान पर प्रतिवादी संख्या 4, 5 व 6 के नाम दर्ज हो गई। प्रतिवादी संख्या 7 ने गलत

रूप से आराजी खसरा नंबर 72 की 13 बिस्वा व खसरा नंबर 73 की 4 बीघा 11 बिस्वा भूमि प्रतिवादी संख्या 8 लगायत 10 को विक्रय कर दी। दावा पेश होने पर प्रतिवादीगण को जरिये समन तलब किया गया। प्रतिवादीगण द्वारा वाद पत्र को खारिज करने का निवेदन किया गया। तत्पश्चात तनकीयात कायम की गई। इसके बाद हाल अपीलार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 7 व आदेश 2 नियम 13 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 2 व 7 के पृथक-पृथक खातों के संबंध में पृथक-पृथक वाद कारण उत्पन्न हुआ है, अतः उन्हें वाद भी अलग-अलग पेश करना चाहिए लेकिन वादीगण ने एक ही वाद प्रस्तुत किया है, जो विधि विरूद्ध है। न्यायालय उपखंड अधिकारी, झालावाड़ द्वारा अपने आदेश दिनांक 09-2-2011 द्वारा वाद की कार्यवाही ड्रोप करते हुए वकील वादीगण को अलग-अलग वाद पेश करने का निर्देश दिया। इससे असंतुष्ट होकर वादीगण के द्वारा अपील न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के समक्ष पेश की गई, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29-6-2011 द्वारा प्रकरण परीक्षण न्यायालय को रिमाण्ड कर दिया। उक्त आदेश से व्यथित होकर मण्डल के समक्ष उक्त अपील पेश की जा रही है।

3- योग्य अधिवक्ता अपीलार्थी ने अपील-मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सीपीसी के आदेश 2 नियम 6 के प्रावधानों के तहत कवर होता है। सीपीसी के आदेश 2 नियम 6 के प्रावधानों के अंतर्गत अलग-अलग वाद पेश करने का प्रावधान दिया गया है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध कोई अपील मेन्टेनेबल नहीं है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने सीपीसी के आदेश 43 नियम 1 में अभिलिखित प्रावधानों को नजरअदांज करते हुए प्रत्यर्थी संख्या 1 लगायत 5 की अपील स्वीकार की है, जो विधिसम्मत नहीं कही जा सकती। प्रथम अपीलीय न्यायालय को सीपीसी के प्रावधानों के बारे में पूर्ण रूप से विवेचन करते हुए तथा उपयुक्त कारण देते हुए निर्णय पारित करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया है। आदेश 43 के तहत जिन आदेशों के विरूद्ध अपील पेश की जा सकती है, उसमें आदेश 1 नियम 7 अंकित नहीं है। इस कारण उक्त आदेश अपील योग्य नहीं है। प्रतिवादीगण के खाते अलग-अलग हैं। दोनों का आपस में कोई संबंध नहीं है। दोनों के खिलाफ एक दावा पेश नहीं किया जा सकता। दावा कुसंयोजन से ग्रसित है। परीक्षण न्यायालय ने विधि सम्मत तरिके से कार्यवाही ड्रोप की है, दावा खारिज नहीं किया है और अलग दावा पेश करने का अवसर दिया है। परीक्षण न्यायालय ने आदेश के साथ डिक्री नहीं बनाई है। अपील डिक्री की ही पेश की जा सकती है, इस कारण अपील मेन्टेनेबल नहीं है। अपीलांट को सक्षम न्यायालय में रिवीजन पेश करना चाहिए था, जो उन्होंने नहीं किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित आदेश विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 29-6-2011 निरस्त फरमाया जावे।

4- योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने अपनी बहस में बताया कि प्रस्तुत वाद में प्रत्यर्थीगण द्वारा जवाबदावा पेश कर कथन किया गया कि गैर कानूनी नामांतरकरण दिनांक 30-4-1977 से ग्राम गिंदौर की विवादित आराजी इब्राहिम के खाते में दर्ज हुई है तथा इसी प्रकार दिनांक 30-4-1977

में अन्य आराजी अब्दुल मजीद के खाते में दर्ज हुई है। यह आराजी एक ही खातेदार होम डिपार्टमेंट एच एस झालावाड़ के नाम से दर्ज थी। इस कारण दोनों ही प्रकरण में कानून विवाद बिंदु एवं तथ्य समान हैं। विवाद एक ही खातेदारी का है। वादकरण भी दिनांक 05–12–2002 को उत्पन्न हुआ है तथा एक ही निर्णय से वाद का निर्णय होना चाहिए। वाद कुसंयोजन से ग्रस्त नहीं कहा जा सकता। जवाब दावे के उपरांत तनकीयात कायम हो चुकी है तथा साक्ष्य भी प्रस्तुत किये जा चुके हैं। परीक्षण न्यायालय द्वारा उक्त सभी तथ्यों को नजरअंदाज करते हुए प्रत्यर्थीगण का दावा ड्रोप करते हुए प्रकरण को अलग–अलग न्यायालय में पेश करने का विधि विरूद्ध आदेश दिनांक 09–2–2011 को पारित किया, जिसके विरूद्ध प्रत्यर्थीगण द्वारा न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी के समक्ष अपील पेश की, जिन्होंने अपने निर्णय दिनांक 29–6–2011 द्वारा अपील स्वीकार कर विधिसम्मत निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलार्थी खारिज की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी का निर्णय दिनांक 29–6–2011 बहाल रखा जावे।

5– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया।

6– पत्रावली का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में आराजी खसरा नंबर 82, 83, 84 व 85 अब्दुल मजीद के खाते में दर्ज है तथा ग्राम गिंदौर की जमाबंदी संवत 2056 से 2059 में आराजी खसरा नंबर 63, 70, 71 व 72 अपीलार्थी इब्राहीम के नाम दर्ज है। जमाबंदी के अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि दोनों के खाते अलग–अलग हैं तथा दोनों के खसरा नंबर भी अलग–अलग है तथा दोनों का एक–दूसरे की आराजी से कोई संबंध–सरोकार नहीं है। दोनों ही अपनी–अपनी आराजी पर काबिज काश्त हैं। परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय में यह अंकित किया है कि दोनों प्रतिवादी की आराजी अलग–अलग होने से, दोनों का एक–दूसरे की आराजी से कोई लेना–देना नहीं है। यदि पक्षकारान के हित अलग–अलग हैं, तो वाद कारण भी पृथक–पृथक हैं। उक्त स्थिति को देखते हुए उन्होंने प्रतिवादी संख्या 7 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 7 व आदेश 2 नियम 13 तथा धारा 151 सीपीसी स्वीकार किया , दावे की कार्यवाही को ड्रोप किया तथा अलग–अलग वाद पेश करने के निर्देश दिए हैं। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 1 नियम 7 व आदेश 2 नियम 13 तथा धारा 151 सीपीसी में वर्णित कथनों का अंकन किया है तथा एवं प्रस्तुत नजीरों का अवलोकन किया है, साथ ही दिशा–निर्देश के साथ प्रतिवादीगण के साक्ष्य लेकर विधिसम्मत तरीके से तनकीवार विश्लेषण कर पुनः निर्णय हेतु प्रकरण रिमाण्ड किया है।

7– यह सही है कि प्रकरण में आदेश–2 नियम–6 सीपीसी के तहत् अलग अलग वाद पेश करने के प्रावधान हैं और विचाराधीन प्रकरण में यह प्रावधान लागू होता है। प्रार्थना पत्र प्रस्तुत में त्रुटि हो सकती है किन्तु परीक्षण न्यायालय के द्वारा प्रकरण की विषय वस्तु को ध्यान में रखते हुए निर्णय पारित किया गया है।

8– हमारे विनम्र मत में जब दोनों पक्षकारों का हित अलग–अलग है तथा दोनों की आराजी भी अलग है, तो एक ही वाद न्यायालय में दायर नहीं किया जा सकता। प्रत्यर्थीगण द्वारा प्रस्तुत वाद में दो अलग–अलग आराजी हैं, जिनके खातेदार भी अलग–अलग हैं। दोनों को एक ही वाद में पक्षकार बनाकर पेश किया गया है, जो न्यायोचित नहीं है। परीक्षण न्यायालय ने तनकीयात कायम कर अपना निर्णय पारित किया है, जो कानूनी रूप से वैध है। परीक्षण न्यायालय ने प्रत्यर्थीगण के वाद को खारिज नहीं किया, वरन ड्रोप करते हुए वाद को अलग–अलग दायर करने का अवसर प्रदान किया है, जो उचित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात तथा तथ्यों का उचित विश्लेषण नहीं करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित किया है तथा ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का भी अवलोकन पूर्णतया नहीं किया गया है। अतः प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिसम्मत नहीं होने से निरस्त किये जाने योग्य है तथा परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधिवत होने से बहाल रखे जाने योग्य है।

9– अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार की जाकर न्यायालय भू–प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा का निर्णय दिनांक 29–9–2011 निरस्त करते हुए न्यायालय उपखंड अधिकारी, झालावाड़ 09–2–2011 बहाल रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(खजान सिंह)
सदस्य

(सी.आर.मीना)
सदस्य